रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232275
CG-DL-E-31122021-232275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 385] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

मामला सं. एडी (एसएसआर)-16/2021

विषय: थाइलैंड से फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलियोल के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की समाप्ति।

फा.सं. 7/19/2021- डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके पश्चात "अधिनियम" के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके पश्चात "नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; मैसर्स मनाली पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात "आवेदक" या "घरेलूउद्योग" के रुप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार थाइलैंड (जिसे इसके पश्चात "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) से फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलियोल (जिसे इसके पश्चात "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्धवस्तुएं" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए एक आवदेन दायर किया है।

ख. प्रक्रिया

2. प्राधिकारी ने जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया है:

क) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 अगस्त, 2021 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से निर्यातकों, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 7 सितम्बर, 2021 की जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी । हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित रुप में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

ग) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश से दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भी प्रदान की।

घ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी अपने देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को यह परामर्श देने का अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेजें। निर्यातकों/ उत्पादकों को भेजी गयी प्रश्नावली और पत्र की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को उनके नाम और पतों के साथ उन्हे भी भेजी गयी थी।

ड.) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यकी महानिदेशालय (डीसीसीआईएंडएस) को यह अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करें।

च) नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रुप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उन्हें मौखिक रुप से व्यक्त अपने विचारों को लिखित अनुरोध में प्रस्तुत करने और उसके बाद रिज्वाइंडर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

3. आवेदक ने ईमेल दिनांक 23-12-2021 के माध्यम से नियम 14 (ए) के संदर्भ में निर्णायक समीक्षा जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने निर्णायक समीक्षा जांच को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है जिसे एफ. संख्या 7/19/2021 दिनांकित 31-08-2021 के तहत शुरू किया गया था।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

4. प्राधिकारी ने यह जांच घरेलू उद्योग द्वारा उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं पर दायर याचिका के आधार पर की थी, जिसमें संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण पाटन के जारी रहने या फिर से होने की संभावना का दावा किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा अपने ईमेल दिनांक 23 दिसंबर 2021 के द्वारा किए गए अनुरोध की तद्नुसार जांच की गई है।

5. यह नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए (5) में प्रावधान है कि लगाया गया एंटी-डंपिंग शुल्क, इस तरह के लागू होने की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, एक समीक्षा में का विचार है कि इस तरह के शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

6. वर्तमान जांच में, मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एकमात्र आवेदक घरेलू उत्पादक है जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह कहते हुए नियम 14(ए) के संदर्भ में निर्णायक समीक्षा जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है कि उन्होंने अंतिम समीक्षा जांच को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसे एफ संख्या 7/19/2021 दिनांक 31-08-2021 के तहत शुरू किया गया था।।

7. तत्काल जांच में, घरेलू उद्योग ने एक लिखित अनुरोध किया है कि जांच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर विषय समीक्षा जांच को समाप्त करते हैं और सिफारिश करते हैं कि आयात पर पाटनरोधी शुल्क थाईलैंड से भारत में 'फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलियोल'' को बंद किया जा सकता है।

अनंत स्वरुप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

Case No. AD (SSR)- 16/2021

Subject: Termination of Sunset Review investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol from Thailand.

F. No. 7/19/2021-DGTR.— A. Introduction

1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (identification, Assessment and Collection of Anti-dumping on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Anti- Dumping Rules); M/s Manali Petrochemicals Ltd. (hereinafter also referred to as the "applicant" or "domestic industry") filed an application before the Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods") from Thailand (hereinafter also referred to as the "subject country").

B. Procedure

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

   a. The Authority issued a public notice on 31st August, 2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject country.

   b. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 7th September, 2021, to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country and other interested parties, as per the available information. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

   c. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

   d. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

   e. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation.

   f. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all known interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th November, 2021. The parties, which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinders submissions.

C. Request Received from Domestic Industry

3. The Applicant through email dated 23.12.2021 requested for termination of the sunset review investigation in terms of Rule 14(a), stating that they have decided not to pursue with the sunset review investigation, which was initiated vide F.No.7/19/2021 dated 31-08-2021.

D. Examination by the Authority

4. The Authority had undertaken this investigation based on the petition filed by the domestic industry on subject goods produced by them, claiming likelihood of continuation or recurrence of Dumping on account of dumped imports from the subject country. The request made by the domestic industry, vide its email dated 23th December, 2021 has accordingly been examined.

5. It is noted that Section 9A (5) of the Customs Tariff Act provides that the anti-dumping duty imposed shall, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

6. In the instant investigation M/s Manali Petrochemicals Ltd.is the sole applicant domestic producer, on whose instance the investigation was initiated. It is noted that the domestic industry has requested for termination of the sunset review investigation in terms of Rule 14(a), stating that they have decided not to pursue with the sunset review investigation, which was initiated vide F.No.7/19/2021 dated 31-08-2021.

7. In the instant investigation, the domestic industry having made a written request that the investigation need not be pursued further, the Authority hereby terminates the subject review investigation on import of subject goods from subject country and recommends that the anti-dumping duties on the imports of Flexible Slabstock Polyol from Thailand into India, may be discontinued.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.12.31 16:05:46 +05'30'